भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5492

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस के माध्यम से बायोफोर्टिफाइड खाद्यान्न

5492. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से बायोफोर्टिफाइड खाद्यान्नों के वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में सरकार द्वारा खाद्य योजनाओं के अंतर्गत खरीदी और वितरित की जा रही बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या टोंक-सवाई माधोपुर जैसे उच्च कुपोषण दर वाले जिलों में ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): जी नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 'श्री अन्न' या मिलेट्स जैसे विकल्प उपलब्ध कराकर खाद्य टोकरी को बढ़ाने पर भी बल दे रही है, क्योंकि श्री अन्न में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है।
